4 PS

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SURAJGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-11-2021 5:27 PM

Fee Receipt No	: 202102452004156	Receipt Date	: 25/11/2021
Name	: TAGORE CHILDREN ACADEMY SOCIETY THROUGH BY SECETRAY TANMAY AHLAWAT,	Document S. No.	: 202101452004169
Address	: 0 ,SURAJGARH ,SURAJGARH ,JHUNJHUNU		
Document Type	: Supplementary Deed/Correction Deed		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 147451654
Ord-Registration Fee	: ₹ 200	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty	: ₹ 500
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1050
		Total Amount	: ₹ 1050

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 55797282 ₹ 1050

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

उप पंजीयक (सूरजगढ़)

Cashier

SUB-REGISTRAR

कार्यालय नगरपालिका – सूरजगढ, जिला – झुंझुनू (राज0)

क्रमांकः/न0पा0सू0/4930 दिनांक 25-11-2021

शुद्धि प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कस्बा सूरजगढ में भुमि खसरा नम्बर 774 क्षेत्रफल 18126.24 वर्गगज का पट्टा संख्या 283 दिनांक 03.05.2013 को नगरपालिका सूरजगढ द्वारा तरूण अहलावत पुत्र श्री सुरेन्द्र अहलावत जाति – जाट, निवासी – सूरजगढ के नाम से जारी किया गया था। उक्त पट्टे का पंजीकरण तरूण अहलावत तत्काल सचिव टैगोर चिल्ड्रेन अकेडमी सोंसायटी के नाम से हुआ है। अतः उक्त पट्टा टैगोर चिल्ड्रेन अकेडमी सोसायटी सूरजगढ जरिये वर्तमान सचिव के नाम से पढ़ा जावे।

यह शुद्धि प्रमाण – पत्र आज दिनांक 25/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एव मोहर कार्यालय से जारी किया गया।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरजगढ

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरजगढ
जिला झुन्झुनू (राज.)

25.11.2021

उप पंजीयक
सूरजगढ (झुन्झुनू)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2021 को 05:22 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री TAGORE CHILDREN ACADEMY SOCIETY THROUGH BY SECETRAY TANMAY AHLAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURENDRA AHALAWAT
उम्र 30 वर्ष, जाति 0-JAT , व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: SURAJGARH, Area: SURAJGARH, City: SURAJGARH, Pin code: 333029, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202101452004169

Supplementary Deed/Correction Deed

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102452004156
दिनांक	25-11-2021
पंजीयन शुल्क ₹	200
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	1050

202101452004169

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री TAGORE CHILDREN ACADEMY SOCIETY THROUGH BY SECETRAY TANMAY AHLAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURENDRA AHALAWAT, व्यवसाय Businessजाति 0-JAT House No.:0, Colony: SURAJGARH, Area: SURAJGARH, City: SURAJGARH, Pin code: 333029, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Executant Age : 30 Signature : [signature]

ने लेख्यपत्र Supplementary Deed/Correction Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAGHUNATH CHEJARA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NETRAM CHEJARA जाति KUMAWAT Age: 43 Add: House No.:0, Colony: SURAJGARH, Area: SURAJGARH, City: SURAJGARH, Pin code: 333029, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature [signature]
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHAVEER PRASAD जाति JAT Age: 39 Add: House No.:0, Colony: BHURIWASH, Area: BHURIWASH, City: BHURIWASH, Pin code: 333034, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature [signature]

202101452004169

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 147451654 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 200, सरचार्ज राशि 150 कुल रु 850 रसीद संख्या 202102452004156 दिनांक 25-11-2021 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202101452004169

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक, SURAJGARH

Registration Endorsement

आज दिनांक 25/11/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 363 में
पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 202103452102586 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1168 के
पृष्ठ संख्या 91 से 94 पर चस्पा किया गया।

202101452004169

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक, SURAJGARH

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB REGISTRAR
SURAJGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2013003917		
Presenter Name	: TARUN AHLAWAT (SEC.T.C.A SO.)	Dated	: 09/09/2013
Presenter Address	: SURAJGARH	Face Value	: 4193760
Document Type	: Lease deed for local bodies (Patta)		
Claimant Name	: TARUN AHLAWAT (SEC.T.C.A SO.), SURAJGARH		
Document S.No.	: 2013004976	Stamp Value	: 100000

Ordinary Registration Fee	: 41940	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 109690
Surcharge on Stamp Duty	: 20970		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 172900

Amount Rs. One Lakh Seventy Two Thousand Nine Hundred only

Cashier

Sub Registrar, SURAJGARH

उप पंजियक
सूरजगढ़

कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ़

पट्टा संख्या :- 283 दिनांक 3.5.2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह मई के 3 वे दिन नगरपालिका मण्डल सूरजगढ़ (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री तरुण अहलावत पुत्र श्री सुरेन्द्र अहलावत जाति जाट व्यवसाय नौकरी निवासी सूरजगढ़ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निक्ले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रशीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पिड़ावा रोड योजना राजस्व ग्राम सूरजगढ़ के खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 1812.6.24 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या एसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भमि का किराया) के तौर पर रूपये [illegible] अंके 94.95.840 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिक्ति अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक /बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार /जीवन बीमा नि— /शिड्यूल्ड बैंक /सरकार ऋणदात्री संस्था /एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए वंधक रखा जा सकेगा।

शामिल रहे

अधि. [illegible] सूरजगढ़

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : ......सुरजगढ़...... पूर्व .... पश्चिम गली प्लॉट नं. ५५५ भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ....

राजस्व ग्राम : ......सुरजगढ़......

खसरा नम्बर : ......५५५...... सीमा उत्तर रास्ता 20 FT दक्षिण प्लाट ख० नं० ५५५ मानचित्र संलग्न है ।

योजना का नाम : चिड़ावा रोड कॉलोनी

पूर्व 298.46.5 फीट पश्चिम 339.07/76 फीट

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज / मीटर : .... उत्तर ....फीट दक्षिण ....फीट

.........18126.24.........

पट्टा तैयारकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.13. के माह मई ...... के ...3.... वें दिन

श्री हरिशंकर कुमावत अधिशाषी

अधिकारी ....ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) .... नगरपालिका अध्यक्ष (हस्ताक्षर एवं मोहर) जि. झुन्झुनू ... नगर निकाय - प्रथम पक्ष अधिशाषी अधिकारी (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

में हस्ताक्षर किये :-

साक्षी :-

1. नाम ......राधेश्याम स्वामी......
   पुत्र ......हेमराज स्वामी......
   व्यवसाय......नौकरी......
   निवास स्थान ......जाखोद......

   .... साक्षी

2. नाम ......मनोज कुमार......
   पुत्र ......मेहरचन्द......
   व्यवसाय......नौकरी......
   निवास स्थान ......पारसिया ताल......

   .... साक्षी

आज 3.5.2013 सन् 2013 के माह मई ...... के

...3.... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री

तरुण अहलावत पुत्र श्री सुरेन्द्र अहलावत .... Tarun

लीजधारक द्वारा कार्यालय ..सुरजगढ़.. में हस्ताक्षर किये। लीजधारक - द्वीतिय पक्ष

आज दिनांक 9.9.13 को ... पुस्तक सं. 1 ... जिल्द सं. 221 ... पृष्ठ सं. 91 ... क्रमांक 3952 ... पर ... 1 ... 601 ... 143-152 ... 74 ... उप पंजीयक, सूरजगढ़

साक्षी :-

1. नाम ......राधेश्याम स्वामी......
   पुत्र ......हेमराज स्वामी......
   व्यवसाय......नौकरी......
   निवास स्थान ......जाखोद......

   .... साक्षी

2. नाम ......मनोज कुमार......
   पुत्र ......मेहरचन्द......
   व्यवसाय......नौकरी......
   निवास स्थान ......पारसियाताल......

   .... साक्षी

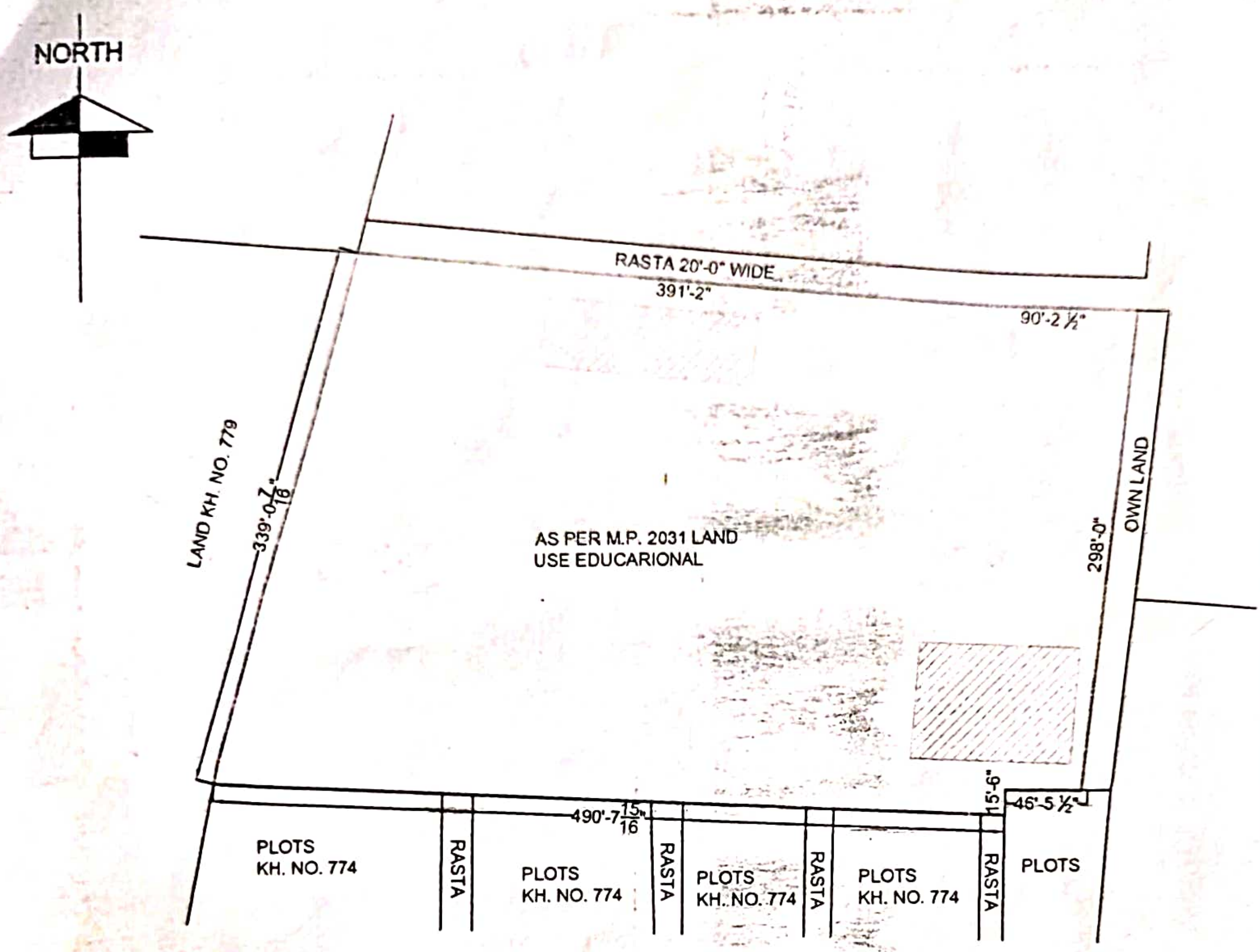

अध्यक्ष
नगरपालिका सुरजगढ़ जि. झुन्झुनु
राजस्थान

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सुरजगढ़

REF :-
INSTITUTIONAL/EDUCATIONAL
AREA :- 18126.24 Sq.Yds.

EXISTING PLAN SHOWING OF INSTITUTIONAL BUILDING FOR TAGORE CHILDREN ACADEMY SOCIETY, SURAJGARH, IN LAND KH. NO. 774, SITUATED AT YOJANA CHIRAWA ROAD COLONY PHASE-II, W.NO. 2, SURAJGARH, DISTT.JHUNJHUNU (RAJ.)

SECRETARY :- SH. TARUN AHALWAT S/o SH. SURENDRA AHALAWAT, BY CASTE - JAT, SURAJGARH, DISTT. JHUNJHUNU (RAJ.)

SIG. OF SECRETARY :-		SCALE :- 1"=16'-0" DATE :- 28/3/2013 DWG.NO. - AAC/526/13	D. By:- M. K. VERMA, ARCHITECT, SURAJGARH, PH. 01596-237621, 9351237621

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

उप कोषाधिकारी
चिड़ावा
26 JUL 2013
जिला झुन्झुनू (राज०)

राजस्थान RAJASTHAN

235291

3952
9.9.13

मालियत– 27,95,840/–

स्टाम्प ड्युटी–1,00,000/–

भूमि पटटा विकय विलेख

मै तरूण अहलावत पुत्र श्री सुरेन्द्र अहलावत उम्र 33 साल जाति जाट पेशा नौकरी निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान सचिव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सोसायटी सूरजगढ का रहने वाला हूँ।

यह कि कस्बा सूरजगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 774 में मेरा एक संस्थानिक भूखण्ड स्थित है इस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 18126.24 वर्गगज है। इस भूखण्ड का उतरी सिरा 391.2 फुट व 90.2½ फुट है, दक्षिणी सिरा 490.7.15/16 फुट व 46.5½, पूर्वी सिरा 298 फुट व 15.6 व पश्चिमी सिरा 339. 0.7/16 फुट है। इस भूखण्ड के उतर में रास्ता 20 फुट चौडा दक्षिण में आवासीय प्लाट भूमि ख.न. 774 व रास्ते पूर्व में स्वयं की भूमि व पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 779 स्थित है इस भूखण्ड का पटटा नगर पालिका सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ने तरूण अहलावत पुत्र श्री सुरेन्द्र अहलावत जाति जाट निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान सचिव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सोसायटी सूरजगढ के हक में कुल राशि 27,95,840 रूपये जमा कर पटटा जारी कर दिया है जिसका पटटा संख्या 283 दिनांक 03.05.2013 है।

आज दिनांक 9 माह September सन् 2013 को 16:05 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री TARUN AHLAWAT (SEC.T.C.A SO.) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURENDAR AHLAWAT
उम्र 33 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय SERVICE
निवासी SURAJGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013004976)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SURAJGARH

रसीद नं0 2013003917 दिनांक 09/09/2013
पंजीयन शुल्क रू0 41940/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 20970/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 109690/-
कुल योग रू0 172900/-

(2013004976) उप पंजीयक, SURAJGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY THOUSAND

Rs. 20

जस्थान RAJASTHAN

जिला झुंझुनूं 235292

(2)

उक्त भूखण्ड का मै ही एक-मात्र मालिक हूँ तथा काबिज है। मै पटटे मे दिये गये नियमो का पालन करूंगा। इसमे नया निर्माण करता हूँ तो नगर पालिका से अनुमति लेकर ही करूगा।

अतः यह भूमि पटटा विकय विलेख मैने पूर्ण होश हवास मे बिना किसी दबाव बहकाव मे आये स्टाम्प रूपये 20,000,20,000 व 10000 X 6 कुल 1,00,000 रूपये पर लिखवा पढा सुन समझ अपने हस्ताक्षर गवाहो के समक्ष कर पंजिबद्ध करवा दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आये। दिनांक –03.09.2013

नोट – इस लेख्य पत्र मे 20 लाईन है।

डीडराईटर – अनुप सुल्तानियां ला.न. 8/2002

हस्ताक्षर डीड.

साक्षी –

1.

2.

हस्ताक्षर पटटाधारी

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-EO SURAJGARH/.
Age 0 Caste-
Ocu.-
R/O-SURAJGARH

(And Claimant)
1-TARUN AHLAWAT (SEC.T.C.A SO.)/SURENDAR AHLAWAT
Age:33. Caste-JAT
Ocu.-SERVICE
R/O-SURAJGARH

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 4193760/— पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 4193760/—पूर्व में ———
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री SANTOSH KUMAR
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GIRDHARILAL उम्र 45 वर्ष
जाति NAI व्यवसाय SERVICE
निवासी SURAJGARH

2. श्री/श्रीमती/सुश्री HARIRAM
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHUDHRAM उम्र 40 वर्ष
जाति MALI व्यवसाय SERVICE
निवासी PILANI ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013004976)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक, SURAJGARH

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN THOUSAND RUPEES

जस्थान RAJASTHAN

जिला

318770

(3)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विक्रय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रूप में सलग्न है।

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 4193760
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 109690 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 41940 कुल रूपये 172900
जरिये रसीद संख्या 2013003917 दिनांक 09/09/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 209690
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013004976) उप पंजीयक, SURAJGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 09/09/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 221
में पृष्ठ संख्या 191 क्रम संख्या 2013003952 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 601
के पृष्ठ संख्या 143 से 152 पर
चस्पा किया गया।

(2013004976) उप पंजीयक, SURAJGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

जस्थान RAJASTHAN

26 JUL 2013

318771

जिला

(4)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विक्रय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रूप में सलग्न है।

राजस्थान RAJASTHAN

जिला झुन्झुनू (राज०) 318945

(5)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विक्रय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रूप में सलग्न है।

1037 दिनांक 31.[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

318946

जिला झुन्झुनू (राज०)

(6)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विक्रय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रूप में सलग्न है।

১০৩৭
৬ ৩।৭।২৩

নকল উত্তোলনের প্রার্থী
শ্রী সুধীর অধিকারী,
তাহার [illegible] [illegible]
মঞ্জুর

১২।৫
১০

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN THOUSAND RUPEES

318947

जस्थान RAJASTHAN

जिला झुन्झुनू (राज०)

(7)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विक्रय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रूप में सलग्न है।

1-37 / 7 ৩।৭।১৩.

নকল [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

उप को...

जिला झुन्झुनू (राज.)

राजस्थान RAJASTHAN

318948

(8)

यह स्टाम्प पेपर भूमि पटटा विकय विलेख के साथ कमी स्टाम्प के रुप में सलग्न है।

1037 दिनांक 3.1.2018

नवीन अग्रवाल पुत्र
श्री सुरेन्द्र अग्रवाल वार्ड
नं. 6 सूरजगढ़

नाम [illegible]
क्रेता/हस्ता. के हस्ताक्षर .... विक्रय स्थान उपतहसील सूरजगढ